कार्यालय नगर पालिक निगम, (जोन क्र.-4) रायपुर (छ.ग.)
प्रेस क्लब के बाजू, पानी टंकी के नीचे, मोतीबाग चौक :–

Email ID – rmczone4@gmail.com

क्र. 704 / जोन क्र.–4 / न.पा.नि. / 2020 रायपुर, दिनांक ....24 / 02 / 2020

// निविदा आमंत्रण सूचना //

नगर पालिक निगम, रायपुर की नीचे दर्शित पार्किंग/प्रवेश शुल्क की वसूली हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ठेकेदार/संस्था से (**01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021** तक) के लिए बंद लिफाफे में दो लिफाफा पद्धति से निर्धारित प्रपत्र में स्पीड पोस्ट के माध्यम से रायपुर के किसी भी डाक घर से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। धरोहर राशि/अमानती राशि का डी.डी. जो राष्ट्रीयकृत बैंक का हो, आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के नाम से प्रथम लिफाफा में डी.डी. एवं आधार कार्ड की प्रति द्वितीय लिफाफा में निविदादर प्रस्तुत करना होगा। निविदा दिनांक **12.03.2020** को शाम **5.30 बजे** तक जोन क्रमांक–04 को प्राप्त हो जाना चाहिए। समय उपरांत प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त निविदाओं को **दिनांक 13.03.2020 को दोपहर 4.00** बजे जोन क्रमांक–04 नगर निगम रायपुर में खोली जावेगी। निविदा हेतु प्रवेश शुल्क/पार्किंग आदि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पार्किंग/प्रवेश शुल्क का नाम	स्थल का विवरण	बाजार लगने का दिन	निविदा खोलने का दिनांक व समय	आफसेट दर	बोली राशि 25 प्रतिशत	अमानती राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शास्त्री बाजार शास्त्री बाजार प्रवेश शुल्क वसूली	निर्धारित स्थान पर	माल वाहक से वसूली कार्य	**13.03.2020**	52,87,000	13,21,000	1,00,000
2	शास्त्री बाजार सायकल स्टैण्ड	निर्धारित स्थान पर		—"—	17,11,000	4,28,000	1,00,000

1. निविदा हेतु आवेदन का प्रारूप एवं शर्ते नगर पालिक निगम रायपुर के वेब साईड **WWW. nagarnigamraipur.nic.in** पर अथवा नगर निगम के जोन क्रमांक–4 तथा मुख्यालय के कार्यालय से देखी जा सकती है।

जोन आयुक्त
जोन क्रमांक–04
नगर पालिक निगम, रायपुर

// निविदा आवेदन पत्र का प्रारूप //

प्रति,

आयुक्त ,
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

नगर पालिक निगम, रायपुर की सीमा के अंतर्गत पार्किंग/प्रवेश शुल्क **(01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक)** हेतु हमारी निविदा निम्नानुसार है :–

1. पार्किंग/प्रवेश शुल्क :– ....
2. आवेदक का नाम एवं पता :– ....

   दूरभाष नं. एवं आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें :– ....
3. धरोहर राशि की बैंक डीडी/ अमानती राशि :– ....

   आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर :– बैक का नाम एवं डीडी क्र. ....

   .... के नाम से प्रस्तुत की जाये। दिनांक ....
4. प्रस्तुत निविदा की दर :– रूपये अंको में ....

   :– शब्दों में ....

निविदा दर निर्धारित प्रारूप में अंको एवं शब्दो में भरा जावेगा तथा दरों में पारदर्शी सेलोटेप लगाना होगा। जिससे की किसी प्रकार की कांट–छांट की सम्भावना ना रहें।

मैंने नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा बतायी गयी सभी शर्तो को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लिया है तथा सभी शर्ते मुझे स्वीकार है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर व नाम

नगर निगम रायपुर में प्रचलित/संचालित पार्किंग/प्रवेश शुल्क के नीलामी दरें नियम एवं शर्तें

// वित्तीय वर्ष 2020–2021 //

1. निविदा दाता के आधार कार्ड की छायाप्रति लिफाफा में डी.डी. के साथ लगया जाना अनिवार्य होगा। निविदाएं निर्धारित प्रारूप में भर कर स्पीड पोस्ट के माध्यम से रायपुर शहर स्थित किसी भी डाक घर के माध्यम से रायपुर में दिनांक .12 .03.2020 को कार्यालयीन अवधि तक जमा की जा सकेगी। निविदाए दिनांक .13 .03.2020 को **दोपहर 4.00 बजे** मोतीबाग नवीन पानी टंकी परिसर प्रेस क्लब के बाजु रायपुर के पते पर जोन कमांक–04 नगर निगम रायपुर में सक्षम अधिकारियों के समक्ष खोली जावेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ उस पार्किंग/प्रवेश शुल्क के लिए निर्धारित बोली राशि एवं अमानती राशि की बैक डीडी राष्ट्रीयकृत बैंक का आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के नाम से निविदा के प्रथम लिफाफा में बोली राशि एवं आमनती राशि की डी.डी. एवं आधार कार्ड की प्रति तथा द्वितीय लिफाफा में निविदा दर रहेगा। प्रथम लिफाफा को पहले खोला जावेगा, निर्धारित डी.डी. एवं आधार कार्ड की प्रति होने पर ही द्वितीय लिफाफा निविदा दर खोली जावेगी।
3. प्रत्येक प्रवेश शुल्क/पार्किंग के लिए पृथक–पृथक निविदा जमा करना होगा।
4. निविदाएं आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर को होगा जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
5. निविदा हेतु आवेदन का प्रारूप एवं नियम व शर्ते एवं अन्य विस्तृत जानकारी जोन कमांक–04, नगर पालिक निगम रायपुर में तथा वेब साईड **WWW.nagarnigamraipur.nic.in** से देखी जा सकेगी। ठेके की अवधि **01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक** के लिए होगी।
6. लिफाफे के ऊपर प्रवेश शुल्क/पार्किंग का नाम एवं दर दाता का नाम पूर्ण पता सहित होना चाहिए। निविदा निर्धारित प्रारूप में स्वच्छता से भरा जावें, काट–छाट होने पर निविदा अस्वीकार की जावेगी।
7. जिस दर दाता द्वारा बोली एवं अमानती राशि की डीडी प्रथम लिफाफे में नहीं पायी जायेगी। उसका द्वितीय लिफाफा निविदा दर का नही खोला जावेगा।
8. प्रवेश शुल्क/पार्किंग को निगम द्वारा वित्तीय वर्ष **2020–21** में यदि कहीं आधे समय में व्यवस्थापित करने अथवा प्रशासनिक एवं अन्य कारणों से ठेका की अवधि को निर्धारित समय के पूर्व समाप्त किया जाता है, तो ठेकेदार को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। ठेका की शेष अवधि की अनुपातिक राशि वापस किया जावेगा।
9. समय–समय पर निगम की जो शर्ते/नियम संशोधित होंगे या किसी कारण वश ठेका अवधि संशोधन की जायेगी तो दर दाता को मान्य करना अनिवार्य होगा।
10. निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने पर आयकर की टी.सी.एस. (TCS) टैक्स की राशि (ठेका राशि का 02 प्रतिशत) ठेका राशि के साथ ठेका राशि के अतिरिक्त एक मुश्त जमा कराना होगा।

(A.R.I.) (A.R.O)

11. निविदा प्रथम/द्वितीय (बंद लिफाफा) में प्रवेश शुल्क/पार्किग का नाम निविदादाता का नाम लिखकर जोन आयुक्त 04 नगर पालिक निगम रायपुर, मोतीबाग नवीन पानी टंकी परिसर प्रेस क्लब के बाजु रायपुर के पते पर प्रेषित करें।

12. पार्किग/चिल्हर बैठकी के निर्धारित दर अनुरूप ही वसूली किया जाना होगा। प्रवेश शुल्क/पार्किग वसुली की दरें निम्नानुसार होगी :–

(अ) **शास्त्री बाजार प्रवेश शुल्क/वसूली की दरें :–**

1.	ट्रक	40/– रू.
2.	मेटाडोर/ट्रैक्टर	30/– रू.
3.	आटो	20/– रू.
4.	रिक्शा/ठेला	10/– रू.
5.	बैल गाड़ी/जीप	20/– रू.

(ब) **शास्त्री बाजार सायकल स्टैण्ड की वसूली की दरें निम्नानुसार है :–**

1.	साइकिल	02/–रू.
2.	मोपेड स्कूटर, मोटर साइकिल	05/–रू.
3.	कार, जीप,आटो, रिक्शा, ठेला	10/–रू.

निविदा के लिफाफे के ऊपर पार्किग/प्रवेश कर का नाम उल्लेख किया जाना होगा। जिस लिफाफे में उल्लेख नही होगा वह मान्य नहीं किया जा सकेगा।

13. प्राप्त निविदा जो भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त होने पर सीलबंद पेटी में जोन आयुक्त के कार्यालयीन कक्ष में रखी जावेगी, जिसे निर्धारित तिथि एवं समय अनुसार जोन आयुक्त के समक्ष खोला जावेगा।

14. ठेके की अवधि **01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक** के लिए होगी, किन्तु निगम हित/जनहित में निगम आयुक्त सभी शर्तो को अथवा कोई भी शर्तों को शिथिल कर सकेंगे।

15. प्रतिभागी को बोली राशि के अतिरिक्त **अमानती राशि एक लाख रू.** पृथक से डी.डी. के माध्यम से जमा करना होगा। यह राशि ठेका अवधि समाप्त पश्चात् अवमुक्त किया जावेगा।

16. भुगतान संबंधी विवाद होने पर निगम द्वारा दर्शाये गई वसूली योग्य राशि पहले संबंधित ठेकेदार को जमा कराना होगा तत्पश्चात् ही उनकी अपील पर विचार होगा।

17. प्रवेश शुल्क/पार्किग समूह का निरीक्षण नगर निगम के महापौर/सभापति/आयुक्त/जोन आयुक्त/उपायुक्त/राजस्व अधिकारी/सहायक राजस्व अधिकारी कभी भी कर सकते है। एवं स्थल में उनके द्वारा दिये गये निर्देश/सुझाव का पालन ठेकेदार को करना होगा।

18. निविदा खोले जाने के समय निविदादाता स्वयं अथवा उसका कोई एक प्रतिनिधि ही उपस्थित रह सकेगा।

(A.R.I.) (A.R.O.)

19. ठेकेदार जिन पर निगम की कोई राशि बकाया हो उनकी निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।

20. शासन के नियमों के तहत निर्धारित स्टाम्प पर अनुबंध का निष्पादन स्वयं के व्यय पर ठेकेदार को कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा भविष्य में कभी किसी भी प्रकार की विधिक/अंकेक्षण आपत्ति पर शासन को देय रजिस्ट्री शुल्क के भुगतान की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

21. यह कि निविदादाता को शासन/नगर पालिका निगम, रायपुर की विधि, उपविधियां और निर्णय तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।

22. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर किसी भी समय निविदा/अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा तथा समस्त जमा राशि राजसात कर ली जावेगी तथा निगम द्वारा अगले ही दिन विभागीय तौर पर पार्किंग की वसूली की जावेगी। विभागीय वसूली में प्राप्त राशि ठेका राशि से कम प्राप्त होने पर अंतर/कम राशि की वसूली संबंधित ठेकेदार से नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अध्याय 12 के तहत वसूली की जावेगी।

23. निर्धारित तय दरों के अनुरूप वसूली हेतु आम जनता को दिखने योग्य स्थल पर तीन नग दर सूची (सूचना पटल) ठेकेदार को लगाना अनिवार्य होगा।

24. दर सूची नही पाये जाने पर प्रथम जांच में राशि 1000/– रू., दूसरे जांच में राशि 2000/– रू. एवं तीसरे जांच में राशि 5000/– रू. अर्थदण्ड वसूली किया जावेगा तथा चौथी बार में भी अगर दर सूची प्रदर्शित नही होने पर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

25. वसूली रसीद नगर पालिक निगम द्वारा निर्धारित अनुरूप ही ठेकेदार द्वारा प्रिंट कराया जावेगा। स्थल जांच में अगर मौके पर अन्य रसीद बुक पायी जाती है तो ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

26. निविदा दर निर्धारित प्रारूप में अंको एवं शब्दो में भरा जावेगा तथा दरों में पारदर्शी सेलोटेप लगाना होगा। जिससे की किसी प्रकार की कांट–छांट की सम्भावना ना रहें।

(A.R.I.) (A.R.O.)

जोन कमिश्नर
जोन कमांक–04
नगर पालिक निगम, रायपुर